न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः— 83/2012

मो० कुद्दुस एवं अन्य — अपीलार्थीगण

बनाम

मो० फिरोज एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

—:आदेशः—

प्रस्तुत अपील वाद अब्दुल कुदुस, मो0 अब्बास , मो0 नईम पिता स्व0 मो0 जहान मियॉ एवं मो0 हुसैन पिता स्व0 पीरबक्स सभी साकिनान नंदना टोला मोगला धाट थाना— जदिया, जिला सुपौल द्वारा दखल दिहानी वाद संख्या 12/11—12 अब्दुल कुदुस बनाम मो0 अब्बास एवं अन्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी के पिता स्व० जहान मियॉ ने दस्तावेज नं०: 1182 दिनांकः 11.03.1949 को जमींदार रामधारी भगत से पुराना खेसरा नं०—454 रकवा 2 बीघा 12 कट्ठा 2 धूर जमीन खरीद किया। अपीलार्थी के पिताजी के नाम से जमाबंदी सं०: 159 कायम हुई। जहान मियाँ के मरने के बाद उनके चारों संतान मो० अब्दुल कुद्दस, मो० नईम एवं मो० पीर बक्स के लड़के मो० हुसैन के नाम से जमाबंदी चलने लगी। तथा 2011 तक मालगुजारी रसीद अपीलार्थी के नाम से बिहार सरकार सिरिस्ता में चल रहा है।

अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के पिता मर गये तथा अपीलार्थी पढ़ा लिखा नहीं था। नये सर्वे के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी जिस कारण अपीलार्थी के जमीन का रकवा 44 डी० गलत ढंग से मोसो० मुलुर मियां के नाम से जमीन का खतियान खुल गया जिसका नया खेसरा सं०: 577 एवं 578 हुआ। मोसोमात मुलुर की लड़कियाँ एक नाजायज केबाला मो० अब्बास एवं मो० अब्दुल रज्जाक के नाम से कर दिया है । नाजायज केवाला के आधार पर अपीलर्थी के जमीन को दखल करना चाहते है जिस कारण अपीलार्थी ने दखल दिहानी का के लिए निम्न न्यायालय में दाखिल किया था।

अपीलार्थी का कथन है कि मो० कुद्दुस सभी भाईयों में बड़ा एवं परिवार का कर्त्ता था जिस कारण उसने सभी भाईयों के तरफ से निम्न न्यायालय में बेदखली का आवेदन दाखिल किया था तथा सभी भाईयों ने मो० कुद्दुस को यह अधिकार दिया था कि सभी भाईयों के तरफ से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता त्रिवेणीगंज के यहाँ बेदखली का आवेदन दाखिल करें।

अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में केबाला दिनांक 22.01.13 की छाया प्रति दाखिल किया है।

विपक्षीगण का कहना है कि यह सही है कि प्रश्नगत खाता खेसरा अन्तर्गत 02 बीघा 12 कट्ठा 02 धूर जमीन अपीलार्थी के पिता एवं दादा जहान मियॉ ने निबंधित केबाला नं0 1182 के माध्यम से दिनांक 11.03.49 को रामधारी भगत से खरीद किया था जिसकी जमाबन्दी 159 जहान मियॉ के नाम से अंचल सिरिस्ता में कायम हुआ तथा जहान मियॉ के निधन के बाद उनके वारिशानों के नाम जमाबन्दी —159 कायम रह गया। सन् 1949 ई0 में ही केवाला नं0 1186 के माध्यम से कासीम अली ने प्रश्नगत खाता—57 के तहत खेसरा —271 में एक बीघा 10 कट्ठा जमीन खरीद किया था ।

यह भी कहना है कि जहान मियॉ द्वारा प्रश्नगत खेसरा 454 के तहत 02 बीघा 12 कट्ठा 02 धूर जमीन तथा कासीम अली द्वारा खेसरा 271 के तहत कय सुदा 01 बीघा 10 कठट्ठा जमीन चूँकि अगल — बगल में ही अवस्थित था इसलिए अपीलार्थी के पिता जहान मियॉ एवं कासीम अली के

बीच 10 कट्ठा रकबा के सन्दर्भ में बदलेन का एक समझौता हुआ एवं उक्त समझौता के आलोक में अपीलार्थी के पिता जहानमियॉ ने कयशुदा 02 बीघा 12 कट्ठा 02 धूर में से 10 कट्ठा जमीन कासीम अली को सुपुर्द कर दिया तथा कासीम अली ने कयशुदा 01 बीघा 10 कट्ठा रकबा में से 10 कट्ठा जमीन जहान मियॉ को सूपूर्द कर दिया। कासीम अली ने बदलेन से प्राप्त प्रश्नगत खाता खेसरा का 44 डी0 जमीन अपनी पुत्री मूलूर निशॉ को सुपूर्द कर उसे उसपर दखलकार बना दिया । आगे यमी कहना है कि उक्त रकबा का जरसम्मन काफी कम रहने के कारण कासीम अली ने अपनी पुत्री के पक्ष में निबंधित दस्तावेज तामिल नहीं किया। सर्वे प्रक्रिया के दौरान प्रश्नगत खेसरा 454 से दो नया खेसरा 578 एवं 577 बना तथा नया खेसरा 578 के तहत 14डी0 मकानमय सहन करके तथा नया खेसरा 577 के तहत 30 डी0 रकबा का खाता मूलूर निशॉ के नाम से दर्ज हुआ । इस इन्द्राज के विरूद्ध न तो जहानमियॉ और न उनके पुत्रों ने कभी कोई आपत्ति पेश किया। मूलूर निशॉ के मरने के बाद उनके दो पुत्रियॉ मसो0 बेचनी एवं जयबून निशॉ ने केबाला नं0 2809 द्वारा सन् 1985 में 10 कट्ठा जमीन प्रतिवादी के पिता मो0 अब्बास एवं चाचा अब्दुल रजाक के हाथ बिक्री करके उस पर उन्हें दखलकार बना दिया।

आगे यह भी कथन है कि मो0 कुदुस द्वारा प्रश्नगत रकबा के सन्दर्भ में अकेले मामला दायर किया जाना इस अर्थ में गलत था कि उन्होंने अपने अन्य भाई अब्बास, इद्रीश तथा भतीजा मो0 हुसैन से सहमति लिए बिना प्रश्नगत रकबा के सन्दर्भ में मामला दायर कर दिया।

आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत रकबा की जमाबन्दी रैयत होने के आधार पर मात्र दखल के सन्दर्भ में प्रश्नगत रकबा के निश्वत दावा किया है लेकिन मात्र जमाबन्दी से किसी के दखल अथवा स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही एवं न्याय संगत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। हाल सर्वे फाईनल नहीं है। बदलैन मौखिक जमीन को सेल डीड किया गया है। बदलैन मौखिक जमीन निबंधित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील वाद स्वीकृत। उक्त वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज को उभय पक्षों के कागजात एवं दखल कब्जा के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। इसी के साथ अपील वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा